

## प्रणालीगत सुधार एवं समीक्षा

### i. अरपन ( ARPAN) :

एडवांस्ड रेलवे पेंशन एसेस नेटवर्क ( अग्रिम रेलवे पेंशन आक्कलन नेटवर्क) को इस मंडल में सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया गया। सभी सामान्य सेवानिवृत्ती एवं अन्य सेवानिवृत्ती मामलों की प्रक्रिया की जाती है।केवल अरपन के द्वारा ही गणना पत्र, बिल एवं पी.पी.ओ. जेनरेट किये जाते हैं।

### ii. जी-सस्पेंश मॉड्यूल :

इस यूनिट में जी-सस्पेंश मॉड्यूल का विकास किया गया तथा सफलतापूर्वक पुराने डॉटा के संकलित किया गया और एफरेस में रखा गया। X-सस्पेंश लेजर का अध्ययन किया गया तथा 15 जनवरी से एफरेस में जेनरेट किया गया। जी-सस्पेंश एफरेस का एक मॉड्यूल है, जिसमें संवृद्धि का ट्रैक एवं का लेखा एवं जमा सस्पेंश मदों (डेबिट एवं क्रेडिट सस्पेंश) को क्लियर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। सस्पेंश लेन-देन की निगरानी एवं सस्पेंस रजिस्ट्रों को अद्यतन करने में यह मॉड्यूल सहायक है। इसके आउटपुट में मासिक लेन-देन सूची, मा का सस्पेंश रजिस्टर का अद्यतन, वित्तीय वर्षवार सस्पेंश सारांश एवं अर्धवार्षिक समीक्षा विवरण शामिल हैं।

### iii. बिल वसूली मॉड्यूल :

एफरेस में बिल वसूली मॉड्यूल का विकास किया गया। यह मॉड्यूल का प्रयोग निम्नलिखित मदों के लेखे पर बाहरी पार्टियों से बकाया राशि की वसूली के लिए किया जाता है :

1. साइडिंग के लिए भूमि लाइसेंस शुल्क और रखरखाव s
2. साइडिंग में काम कर रहे वाणिज्यिक कर्मचारियों का लागत
3. भवनों का किराया
4. इंजिनियरी प्लॉट के लिए भूमि लाइसेंस शुल्क
5. ऑप्टिकल फाइबर को बिछाने एवं अन्य प्रयोजनों के लिए वे लीव
6. विभिन्न स्टॉलों, भवनों इत्यादि के आपूर्ती की गई पानी के बिल इत्यादि.,
7. क्षतिपूर्ती एवं पुनः रेलिंग के बिल
8. बाहरी व्यक्तियों को किया गया विद्युत आपूर्ती का लागत

iv. **वाणिज्य फुटकर अर्जन मॉड्यूल :**

इस मॉड्यूल का विकास एफरेस में किया गया है, जो एफरेस का एक अंग है, रेलवे परिसर में परिचालित विभिन्न स्टॉलों के ट्रैक लाइसेंस विवरण को रखने के लिए वाणिज्य विभाग द्वारा इस माड्यूल का प्रयोग किया जाता है। मंजूर किए गए लाइसेंसों, वसूल किए गए बकाया राशि, लाइसेंसों का विस्तार, प्राप्त भुगतान, भविष्य में अवधि समाप्त होनेवाले लाइसेंस और दिन लाइसेंसों की अवधि समाप्त हो गई है, उनका रखरखाव करने के लिए इस मॉड्यूल का उपयोग किया जाता है। भविष्य की बकाया की सूचना एवं अर्जन की भविष्यवाणी भी उपलब्ध करता है। लाइसेंस का विवरण अनुभाग और स्टेशन की भौगोलिक क्रम में लिया जा सकता है।

v. **कार्य रजिस्टर मॉड्यूल :**

इस मॉड्यूल का विकास एफरेस में किया गया है, जो एफरेस का एक अंग है, जो कार्य का विवरण एवं कार्य के लिए किए गए व्यय का मिलान की जानकारी रखने के लिए प्रयोजित किया जाता है। सी.ए.ए. अनुभाग द्वारा विस्तृत क्वलन र्थात् एस.एफ.वार, बंटन वार एवं उप कार्य वार के लिए इसका उपयोग किया जाता है। चालू खाता का पूरा होने के बाद सी.ए.ए. अनुभाग लेन-देन के विवरण को कार्य रजिस्टर के मॉड्यूल में इम्पोर्ट करेगा एवं जे.वी. एडजस्टमेंट के मामले में संबंधित कार्य के व्यय को पहचानेगा और व्यय की स्थापना करेगा तथा अंत में कार्य पर किए गए व्यय का मिलान करके उसका अद्यतन करेगा। यह मॉड्यूल कार्य रजिस्टर उपलब्ध करायेगा, जिसमें माह में किया गया व्यय, वित्तीय वर्ष का व्यय तथा एस.एफ.वार, पी.यू.वार तथा नकद एवं भंडार के बंटन के संचयी व्यय का विस्तृत क्वलन रहेगा। सभीपास किये गए ठेकेदार के बिलों के वाउचरों का विवरण भी उपलब्ध करायेगा।

~~0o0~~